



## उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-451-औसं-17/पाकालि/2023-11( 4 )ए०एस०/०६

दिनांक 02 फरवरी, 2023

### कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट [www.uppcl.org-medical](http://www.uppcl.org-medical) पर उपलब्ध हैं, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/2009, दि० 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद के पत्रांक-10196/मुअमुक्षे दिनांक 29.06.2022, पत्रांक-10907-मुअमुक्षे दिनांक 07.07.2022 एवं पत्रांक-279-मुअमुक्षे/14 एम-9 दिनांक 05.01.2023 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रदत्त पंजीकरण सं०-सी०एम०ई०ई० 2250557 जो दिनांक 03.06.2022 से 30.04.2023 तक नवीनीकृत है एवं जिला पंजीकरण प्राधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण संख्या-0913700002 दिनांक 14.09.2022 जो एक वर्ष हेतु वैध है, के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित चिकित्सालयों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों पर एतद्वारा मान्यता प्रदान की जाती है :-

| क्रम सं० | चिकित्सालय का नाम व जनपद                                                                                | मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | मुरादाबाद मेडिसिटी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ए-89 ग्रिन्स रोड, गांधीनगर, नियर चड्ढा सिनेमा, मुरादाबाद। | 30.04.2023                     |
| 2        | वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नियर, रजबपुर गजरौला, जिला-अमरोहा।                              | 13.09.2023                     |

उपर्युक्त चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार)29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं०-3330-औसं/2018-11(28) ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

- चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- चिकित्सालयों को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
- चिकित्सालयों को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 25.05.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
- चिकित्सालयों को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-  
(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।  
(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।  
(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।  
(घ) कार्मिक का वेतनमान।  
(ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।  
(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

*Punmar*

5. अस्पताल प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।
6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु ₹0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।
7. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

### निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-451 (1)/औसं-17/पाकालि/2023-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppl.org-Medical](http://www.uppl.org-Medical) पर अपलोड करने हेतु।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, ज्योतिबाफुले नगर, अमरोहा उ0प्र0।
17. मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद, उ0प्र0।
18. प्रबन्धक, मुरादाबाद मेडिसिटी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ए-89 प्रिन्स रोड, गांधीनगर, नियर चड्ढा सिनेमा, मुरादाबाद।
19. प्रबन्धक, वैकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नियर रजबपुर गजरौला, जिला-अमरोहा।
20. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
21. कट फाइल।

आज्ञा से,

*Rummar*  
(प्रदीप कुमार) 24/23

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)